फर्द अहकाम

(नियम 26)

राजस्व वाद जीसीएमएस नंबर 2023/160 बअनवान थानाराम बनाम उत्तम कुमार वगैरा
वाद अंतर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
11/12/24	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। प्रतिवादीगण अनुपस्थित। वकील वादी की एकपक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन एवं वकील वादी की एकपक्षीय बहस पर मनन के पश्चात प्रकरण में ज्ञात तथ्य है कि ग्राम बीजापुर के खसरा नंबर 355 रकबा 0.44 हैक्टर के 1/2 हिस्सा के सह खातेदार सुरेश कुम्हार पुत्र लालु ढोली ने अपना 1/2 हिस्सा बेचान प्रतिफल की राशि 15000 रू प्राप्त करते हुये वादी को दिनांक 18.07.2011 के पंजीबद्ध विक्रय विलेख से बेचान की। उक्त बेचान का नामांतरकरण खरीदकर्ता के नाम न होने का फायदा उठाकर सुरेश कुमार द्वारा अपने 1/2 हिस्से का बेचान दिनांक 06.01.2014 को उत्तम कुमार, भरतकुमार पिसरान हिम्मताराम ढोली के पक्ष में कर दिया। तथा पश्चातवर्ती बेचान के खरीदकर्त्ताओं द्वारा नामांतरकरण अपने नाम दर्ज करवा दिया। जिसकी जानकारी वादी को होने पर वादी द्वारा इस न्यायालय में अपील पेश की गई। जो अपील सं. 12/2015 थानाराम बनाम सुरेश कुमार वगैरा दिनांक 31.05.2016 स्वीकार की गई। जिसकी पालना में नामांतरकरण सं. 2315 दिनांक 05.07.2017 में वादी का नाम दर्ज हुआ, तथा इसके पश्चात वादी द्वारा इस न्यायालय में विभाजन का वाद पेश हुआ। जिस राजस्व वाद 46/2018 थानाराम बनाम मुकेश कुमार वगैरा अंतर्गत धारा 53, 188 आरटीए में न्यायालय द्वारा दिनांक 02.08.2022 को विभाजन की फाईनल डिक्री जारी की जाने से वादी खाता विभाजन होकर खसरा नंबर 355/1 रकबा 0.21 हैक्टर का इकलौता खातेदार व 355/2 रकबा 0.02 हैक्टर रास्ता प्रयोजन रखने से सहखातेदारी में दर्ज की गई। वादी के खातेदारी भूमि के नये तरमीमी नंबर 3220/355 रकबा 0.21 हैक्टर हुये। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि बीजापुर के खसरा नंबर 3220/355 रकबा 0.21 हैक्टर वादी की खातेदारी भूमि होने से प्रतिवादीगण या अन्य किसी पक्ष को दखलअंदाजी के अधिकारी नही रहते है। जो उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों व वादी के मौखिक साक्ष्यों द्वारा किये बयान के आधार पर वाद वादी स्वीकार किया जाता है। वादग्रस्त भूमि ग्राम बीजापुर के खसरा नंबर 3220/355 रकबा 0.21 हैक्टर के संबंध में वादी के पक्ष तथा प्रतिवादी सं 1 से 6 के विरूद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 188 के तहत इस आशय की सार्वकालिक निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि प्रतिवादीगण स्वयं अथवा एजेंट वादी के शांतिपूर्ण कब्जे काश्त में दखलअंदाजी नही करे। इसी कदर डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।	

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

डिगरी बमुकदमें इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन् उपखण्ड अधिकारी, बाली जिला पाली (राजस्थान)
बइजलास श्री दिनेश विश्नोई, आर.ए.एस.

वादी :–

थानाराम पुत्र दुर्गाराम जाति मेघवाल निवासी बीजापुर, तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. उत्तम कुमार पुत्र हिम्मताराम
2. भरत कुमार पुत्र हिम्मताराम
3. मुन्ना देवी पत्नि उत्तमकुमार
4. ललिता देवी पत्नि सुरेश कुमार
5. चम्पत कुमार पुत्र सुरेश कुमार
6. सुशील कुमार पुत्र सुरेश कुमार जाति ढोली निवासी बीजापुर, तहसील बाली जिला पाली (राज.)

राजस्व वाद प्रकरण संख्या Gcms No. 2023/160

वाद अंतर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे समक्ष व हाजरी वकील वादी व पैरोकार सरकार पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :–

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् ग्राम बीजापुर के खसरा नंबर 3220/355 रकबा 0.21 हैक्टर की भूमि के संबंध में वादी के पक्ष तथा प्रतिवादी सं 1 से 6 के विरूद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 188 के तहत इस आशय की सार्वकालिक निषेधाज्ञा की डिक्री जारी की जाती है कि प्रतिवादीगण स्वयं अथवा एजेंट वादी के शांतिपूर्ण कब्जे काश्त में दखलअंदाजी नही करे। इसी कदर डिक्री पर्चा जारी किया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 11-12-24 को जारी किया गया।

मोहर

(दिनेश विश्नोई)
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड़ अधिकारी, बाली

Scanned with CamScanner